भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4475
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

तमिलनाडु में अपर्याप्त शीतागार श्रृंखला सुविधाएं

4475. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर तमिलनाडु में 4 से 16 प्रतिशत खाद्यान्न और बागवानी उत्पाद, जिनमें फल और सब्जियां शामिल हैं, पर्याप्त शीतागार श्रृंखला सुविधाओं, प्रसंस्करण, परिवहन और विपणन सुविधाओं की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार पंचायत और ग्राम स्तरों पर मूलभूत अवसंरचना सृजित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पंचायत स्तर पर कुल कितनी शीतागार श्रृंखला स्थापित की गई हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नाबकॉन्स) प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से **"भारत में कृषि उत्पाद के फसलोत्तर नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन 2022"** कराया है। उक्त अध्ययन में अनाज तथा फलों एवं सब्जियों के लिए क्रमशः 3.89- 5.92 प्रतिशत और 4.87-11.61 प्रतिशत के संचयी फसलोत्तर नुकसान की जानकारी दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत घटक योजनाओं अर्थात् (i) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना- 01.04.2021 से बंद) , (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना), (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना का निर्माण (एपीसी योजना), (iv) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना), (v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (सीबीएफएल योजना- 01.04.2021 से बंद) और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना) को वर्ष 2016-17 से तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में (पंचायतों/गांवों में) लागू किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के तहत स्वयं मूलभूत अवसंरचना का निर्माण नहीं करता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाएं मांग आधारित हैं और समय-समय पर निधियों की उपलब्धता के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन घटक योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों प्रकार की अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण होता है। घटक योजनाओं के तहत सृजित सुविधाएं कच्चे कृषि उत्पादों के परिरक्षण और प्रसंस्करण तथा कच्चे और तैयार उत्पादों की ढुलाई में मदद करती हैं, जिससे खाद्यान्न तथा फलों एवं सब्जियों सहित कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होती है और उनका शेल्फ जीवन बढ़ता है।

(ग): शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत, गत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24 तक) तथा वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान जनवरी, 2025 तक पंचायतों/गांवों सहित देश भर में क्रमशः 69 परियोजनाएं और 17 परियोजनाएं चालू की गई हैं।

*****